न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 05 / 2018

संजय पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी बड़ाबन्ध, तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम संजय अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 63 / 2017 निर्णय दिनांक 22.09.2017

उपस्थितिः—

1 .श्री मनोहरलाल सैनी , एडवोकेट ——— ——— ———अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.07.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.09.2017 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम संजय मु0नं0 63 / 2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर बिना गौर किये बिना विवेचना किये ही निर्णय दिनांक 22.09.2017 पारित किया है। पारित निर्णय स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आता है। ग्राम संजयनगर की भूमि खसरा नंबर 4277 / 620 रकबा 025 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ पर कई लोगों ने मकान व बाड़े बनाकर रिहायस कर रहे हैं तथा उक्त भूमि पर देव नारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है जिसके भी चारों तरफ मकान बने हुये हैं तथा उक्त मंदिर में गांव के सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। उक्त भूमि आबादी भूमि है जिस पर अपीलांट पक्के मकान, चार दिवारी, दुकान व खेल व पानी की टंकी का निर्माण कर आबाद है। उक्त भूमि पर करीब 50 वर्षों से मकान व बाड़े बनाकर आबाद हैं। उक्त भूमि रिहायस करने के लिए गांव के व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी थी। अपीलांट का पुराना कब्जा व ढाणी के

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

लोगों की बसासत होने के करण ग्राम पंचायत पपुरना पंचायत समिति खेतड़ी द्वारा उक्त भूमि का कानूनी प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 30.3.1983 को अपीलांट के दादा हनुमान व भगवानाराम श्रीराम, रामकुमार पुत्रगण गणपतराम गुर्जर के नाम से पटटा जारी किया गया था। उसके बाद अपीलांट के ददसा वगैरह ने उक्त पटटेशुदा भूखण्ड का आपसी सहमति से बंटवारा कर उक्त भूमि पर पक्के मकान बना लिये तथा उसके चार दीवारी बना ली । अपीलांट ने अपने पटटेशुदा भूखण्ड में दिनांक 25.4.1998 को बिजली का कनेक्शन ले लिया तथा उक्त विद्युत कनेक्शन लिये जाने में ग्राम पंचायत की कोई आपति न होने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया गया उसके बाद अपीलांट के पिता ने उक्त भूखण्ड में पानी का कनेक्शन लिया तथा उसके लिये भी दिनांक 22.7.95 को ग्राम पंचायत पपुरना द्वारा अपीलांट के पिता को प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसके आधार पर अपीलांट के पिता ने पानी व टेलीफोन का कनेक्शन भी ले रखा है। उक्त सभी तथ्यों से बखूबी साबित है कि अपीलांट या उसके पिता ने किसी भी गैर मु0 पहाड़ी की जमीन पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बल्कि अपीलांट ने केवल अपने पट्टेशुदा भूखण्ड पर ही पक्के मकान व चारदिवारी बनाकर आबाद है। इन सभी तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर न कर अपीलांट को बेदखल करने की कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 22.9.2017 उनवानी सरकार बनाम संजय अपास्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट द्वारा अपील में बताये गये बिन्दुओं व अपीलांट के दादा के नाम से जारी पट्टे को ध्यान में रखते हुये दुबारा विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– ग्राम संजयनगर की भूमि खसरा नंबर 4277/620 रकबा 025 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ पर कई लोगों ने मकान व बाड़े बनाकर रिहायस कर रहे हैं तथा उक्त भूमि पर देव नारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है जिसके भी चारों तरफ मकान बने हुये हैं तथा उक्त मंदिर में गांव के सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। उक्त भूमि आबादी भूमि है जिस पर अपीलांट पक्के मकान, चार दिवारी, दुकान व खेल व पानी की टंकी का निर्माण कर आबाद है। उक्त भूमि पर करीब 50 वर्षों से मकान व बाड़े बनाकर आबाद हैं। उक्त भूमि रिहायस करने के लिए गांव के

अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू

व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी थी। अपीलांट का पुराना कब्जा व ढाणी के लोगों की बसासत होने के करण ग्राम पंचायत पपुरना पंचायत समिति खेतड़ी द्वारा उक्त भूमि का कानूनी प्रकिया अपनाकर दिनांक 30.3.1983 को अपीलांट के दादा हनुमान व भगवानाराम श्रीराम, रामकुमार पुत्रगण गणपतराम गुर्जर के नाम से पटटा जारी किया गया था। उसके बाद अपीलांट के दादा वगैरह ने उक्त पटटेशुदा भूखण्ड का आपसी सहमति से बंटवारा कर उक्त भूमि पर पक्के मकान बना लिये तथा उसके चारदीवारी बना ली । अपीलांट ने अपने पटटेशुदा भूखण्ड में दिनांक 25.4.1998 को बिजली का कनेक्शन ले लिया तथा उक्त विद्युत कनेक्शन लिये जाने में ग्राम पंचायत की कोई आपति न होने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया गया उसके बाद अपीलांट के पिता ने उक्त भूखण्ड में पानी का कनेक्शन लिया तथा उसके लिये भी दिनांक 22.7.95 को ग्राम पंचायत पपुरना द्वारा अपीलांट के पिता को प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसके आधार पर अपीलांट के पिता ने पानी व टेलीफोन का कनेक्शन भी ले रखा है। उक्त सभी तथ्यों से बखूबी साबित है कि अपीलांट या उसके पिता ने किसी भी गैर मु0 पहाड़ी की जमीन पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बल्कि अपीलांट ने केवल अपने पट्टेशुदा भूखण्ड पर ही पक्के मकान व चारदिवारी बनाकर आबाद है। इन सभी तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर न कर अपीलांट को बेदखल करने की कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 22.9.2017 को निरस्त किया जाकर पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22 सितम्बर, 2017 का अवलोकन किया । अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि आबादी भूमि है जिस पर अपीलांट 50 वर्षों से पक्के मकान, चार दिवारी, दुकान व खेल व पानी की टंकी का निर्माण कर आबाद है और उक्त भूमि रिहायस करने के लिए गांव के व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार दी थी। अपीलांट का पुराना कब्जा व ढाणी के लोगों की बसासत होने के करण ग्राम पंचायत

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

पपुरना पंचायत समिति खेतड़ी द्वारा उक्त भूमि का कानूनी प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 30.3.1983 को अपीलांट के दादा हनुमान व भगवानाराम श्रीराम, रामकुमार पुत्रगण गणपतराम गुर्जर के नाम से पटटा जारी किया गया था। जिस पर ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर बिजली, पानी व टेलीफोन के कनेक्शन आदि वर्षों पुराने ले रखे हैं। अपीलांट ने उक्त सभी दस्तावेजात की फोटो प्रतियां भी पेश की हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपने निर्णय में इन दस्तावेजात के आधार पर पुराना कब्जे एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे आदि के संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी है। विवादित भूमि की किस्म गैर0 मु0 पहाड़ है जो प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2017 उनवानी सरकार बनाम संजय मु0नं0 63/2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे वादग्रस्त स्थल का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकरान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के मध्यनजर पूर्ण विवेचना करते हुये अगर प्रकरण पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य है तो नियमन की कार्यवाही की जावे एवं विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू